FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO), बायतु मुकाम ....

ओगाराम बनाम शम्भुराम वगैरह

किस्म मुकदमा र. आवेदन 111,128 RLR Act नं. 139 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.4.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30.4.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/04/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फर्द तामील शामिल/इन्तजार होकर पत्रावली कार्यवाही दिनांक 07/05/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
07/05/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बायतु भोपजी में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील द्वारा बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के रास्ते और पत्थरों के नेक-स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेकमनदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेक-मनदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी	

(हस्ताक्षर)

का नेचमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामड़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खाते-दारी खेतों की पक्की नेचमबन्दी दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दोनों पक्षो के रूबरू कमिश्नर शुल्क मौके पर जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, बायतु भोपजी)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 556 दिनांकः– 7/5/2018

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. श्री जोगाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी रामसरिया, बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. श्री शम्भूराम पुत्र मोडाराम वगैरा 16 जाति जाट निवासी रामसरिया, बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 139/18

आदेश

मौजा रामसरिया पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 608/395, 607/398 रकबा क्रमशः 38.02, 52.14 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पड़ौसियों को नोटिस देने के बाद, प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 557–61 दिनांकः– 7/5/2018
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र नारणाराम।
4. विप्रार्थी श्री शम्भूराम पुत्र मोडाराम वगैरा 16।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु